

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

फूलाराम

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद, नम्बर :- 339/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इक हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.215	<p>वकील वादी उपरिथत।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-चावण्डियाकलां में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 213 कुल किता 01 कुल रकबा 06-14 बीघा में धूलिया पुत्र पूसा हरिजन दर्ज हैं। वास्तविक नाम फूलाराम पुत्र पुखराज हैं। सबूत में वादी मूलाराम ने पहचान-पत्र, राशनकार्ड की छाया प्रतियां पेश की हैं। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।</p> <p>राजस्व लोक अदालत में मजमा-ए-आग में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 213 कुल किता 01 कुल रकबा 06-14 बीघा में वादी का नाम धूलिया पुत्र पूसा हरिजन दर्ज हैं जबकि सबूत के आधार पर फूलाराम पुत्र पुखराज बख्शी साबित हैं। वाद के समर्थन में पहचान-पत्र, राशनकार्ड की छाया प्रतियां पेश की हैं। धूलिया पुत्र पूसा हरिजन के स्थान पर फूलाराम पुत्र पुखराज को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 213 कुल किता 01 कुल रकबा 06-14 बीघा भूमि में धूलिया पुत्र पूसा हरिजन के स्थान पर फूलाराम पुत्र पुखराज को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दसमद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना गंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकगील जाब्दा पत्रावली दाखिल दपतर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	

उप खंड अधिकारी
जैतारण, (पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

फूलाराम पुत्र पुखराज
जाति-हरिजन,
निवासी-चावण्डियाकलां
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
(राज.)

तहसीलार जैतारण

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई

मु0न0 :रा0वा0 स0: 339/2015


निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वारते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 213 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 06-14 बीघा भूमि में धूलिया पुत्र पूसा हरिजन के स्थान पर फूलाराम पुत्र पुखराज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दपतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

बीज-.....गुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें गय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वयूल याबी तक-.....को अदा करें।

बशरत मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अदल सेवा केंद्र-चावण्डियाकलां में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया।



उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सभूत			महजताना वकील		
महजताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

गिजान:-

गिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, वहीं दर्ज किया जावें।